मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

राम उर्फ रामलाल आदि बनाम सन्तोष आदि

दावा बाबत :- 88,188

मुकदमा नम्बर :- 74/2016

निर्णय दिनांक :- 02-10-2021

वादी की ओर से वकील श्री असरीफ अली की व प्रतिवादी सं0 1 से 11 की ओर से वकील श्री लीलाधर अग्रवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही 18 AMS के खाता सं 49/50 के मु.नं. 11, 12, 13, 14, 15, 16 की कुल 12.397 हैक्टेयर में परसाराम के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी व रोही चक 19 AMS के खाता सं. 46/44 के मु.नं. 4 की कुल 1.265 हैक्टेयर में परसाराम के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी, व चक 7 SDR के खाता सं. 105/105 के मु.नं. 60, 61, 77 (76) कुल 3.289 हैक्टेयर में परसाराम के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है उसमें से परसाराम का नाम कलमजद किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी सं. 1, 2 व 4 ता 11 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है। चूंकि हक त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय स्टाम्प ड्यूटी जमा होने व वादभूमि यदि किसी बैंक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। राजीनामा डिक्री का भाग पढ़ा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

भादरा जिला - हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

भादरा, जिला हनुमानगढ़